प्रेसविज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 22.02.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में 15 घंटे के अल्प समय में 02 अपचारी किशोर हिरासत में लिये गये।

आज दिनांक 22.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे बच्चों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में 02 अपचारी किशोर को घटना के बाद 15 घंटे के अल्प समय में घर पर मौजूद होने की सूचना पर हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। हिरासत में लिये गये अपचारी किशोर के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.02.2021 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बालक के साथ हुए कुकर्म के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी कैराना को दिये गये।

घटना का विवरणः-दिनांक 21.02.2021 को थाना कैराना मौहल्ला इस्लामनगर में घर के बाहर खेल रहे 10 वर्षीय बालक को मौहल्ले के ही 02 किशोर द्वारा पतंग दिलाने को कहकर फुसलाकर गांव के पास ही जंगल में ईख के खेत में ले गये,जहां बालक से कुकर्म की घटना कारित की। बालक के चीखने चिल्लाने पर मौके पर ग्रामीणों के पहुचने पर भाग गये।

हिरासत में लेने वाले पुलिस बाल कल्याण अधिकारी व टीमः-

1. उ0नि0 श्री जयसिंह नागर थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 पवन भाटी थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 कवंरपाल थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी

<u>थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा पाठक परिवार के हत्यारे के इशारे पर धमकी देने व रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामदः-</u>

वर्ष 2019 में भजन गायक अजय पाठक और उसके परिवार की हिमांशु सैनी ने नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में जनपद पुलिस द्वारा तत्परता से कायर्वाही कर हिमांशु को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी हुई सम्पत्ति बरामद कर ली थी और अभियुक्त हिमांशु को जेल भेज दिया था तभी से हिमांशु जेल में बंद है। मामले का विचारण कैराना कोर्ट में चल रहा है। दिनांक 21.02.2021 को अभिषेक पुत्र सतेन्द्र निवासी खुशहाली बिहार थाना आदर्श मंडी शामली द्वारा डा0 हरिओम पाठक के निवास पंजाबी कॉलोनी पहुंचा। उसने हरिओम पाठक से कहा कि जेल में हिमांशु सैनी के साथ जेल में बंद था और अभी हाल में ही जेल से जमानत पर बाहर आया है। अभिषेक द्वारा धमकी देते हुए हिमांशु पाठक को कहा गया कि अपने भाई अजय पाठक और उसके परिवार की हत्या के मामले में फैसला कर लें और हिमांशु के लिये पांच लाख रूपये चाहिये तथा परिवार का फोन नंबर मांगते हुए मोबाइल से फोटो खींचने लगा और गाली गलौज करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। लोगों के इकट्ठे होने पर भागने का प्रयास करने लगा। तो उसे मोटरसाइकिल के साथ पब्लिक ने पकड़ लिया।

उक्त घटना के संबंध में दिनांक 21.02.2021 को डॉ0 हरिओम पाठक की थाना आदर्श मंडी पर लिखित तहरीर दाखिला की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा मामले में छानबीन की गयी। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मामला संज्ञान में आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष आदर्श मंडी को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में पब्लिक द्वारा अभियुक्त को पकडकर थाना आदर्श मंडी पर लाये जाने पर आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिषेक को पुलिस हिरासत में लेकर अवैध वसूली की मांग करने में प्रयुक्त मोबाईल फोन व मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- अभिषेक पुत्र सतेन्द्र निवासी खुशहाली बिहार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध वसूली करने में प्रयुक्त मो0सा0 स्प्लेण्डर नं-UP-19F-4678 ।

2- अवैध वसूली करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन (रीयल मी) ।

थाना कांधला

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद ।</u>

दिनांक 21.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर फतेहपुर नहर पुलिया से 01 वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त बरामद मोटरसाइकिल दो वर्ष पूर्व जनपद पानीपत हरियाणा से चोरी की गई है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1- कुलदीप चौहान उर्फ मोनू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर रंग काला नम्बर HR-05AR-3700 ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2- हे0का0 राजपाल थाना कांधला जनपद शामली।

3- का0 सोनू थाना कांधला जनपद शामली ।